Member of Parliament Local Area Development Scheme

भारत सरकार
सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय
सरदार पटेल भवन, नई दिल्ली -110001
GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF STATISTICS & PROGRAMME IMPLEMENTATION
SARDAR PATEL BHAVAN, NEW DELHI-110001
FAX : 011-23364197
E-mail : mplads@nic.in

सत्यमेव जयते

फा.सं.सी-42/3/2011-एमपीलैड्स

Dated 7 नवम्बर, 2013

सेवा में,

1. आयुक्त,
   कोलकाता/चेन्नई/दिल्ली नगर निगम
2. सभी जिला कलेक्टर/जिला मजिस्ट्रेट/उपायुक्त

विषयः पर्यवेक्षण/सेंटेज प्रभारों के संबंध में स्पष्टीकरण ।

महोदय,

1. यह मंत्रालय एमपीलैड्स के अंतर्गत पर्यवेक्षण/सेंटेज प्रभारों के संबंध में स्पष्टीकण हेतु संदर्भ प्राप्त करता रहा है । एमपीलैड्स दिशानिर्देशों में 2% प्रशासनिक व्ययों के लिए प्रावधान किया गया है । इसमें वे कार्यकलाप भी निर्धारित किए गए हैं जिन पर यह व्यय किया जा सकता है तथा किस तरीके से ये निधि नोडल विभाग, नोडल जिला और कार्यान्वयनकर्ता जिले के बीच वितरित की जाएगी । पर्यवेक्षण/सेंटेज प्रभारों के रूप में कोई अन्य व्यय एमपीलैड्स निधि से अनुमत्य नहीं है ।

2. किसी संदेह का निवारण करने के लिए, यह निर्णय लिया गया है कि एमपीलैड्स दिशानिर्देशों में निम्नानुसार पैरा 4.17.1 शामिल किया जाए:-

पैरा 4.17.1 सेंटेज प्रभार, आदि: प्रशासनिक व्ययों, जैसा कि पैरा 4.17 में प्रावधान किया गया है, को शामिल न करते हुए नोडल विभाग, जिला प्राधिकारी अथवा कार्यान्वयन एजेंसी एमपीलैड्स के तहत प्रारंभिक कार्यों सहित कार्यों के कार्यान्वयन और पर्यवेक्षण में किसी व्यय जैसे, पर्यवेक्षण प्रभार, सेंटेज प्रभार, कार्मिकों का वेतन, यात्रा व्यय आदि की मांग नहीं करेगी ।

3. इसे सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी किया जाता है ।

भवदीय,

(डी. साईबाबा)
निदेशक (एमपीलैड्स)

प्रतिलिपि सूचनार्थ:

1. सभी माननीय संसद सदस्य (लोक सभा/राज्य सभा) ।
2. एमपीलैड्स से संबंधित नोडल विभागों के सचिव (सभी राज्य/संघ राज्यक्षेत्र) ।
3. एमपीलैड्स संबंधी राज्य सभा समिति, राज्य सभा सचिवालय, नई दिल्ली ।
4. एमपीलैड्स संबंधी लोक सभा समिति, लोक सभा सचिवालय, नई दिल्ली ।
5. एमपीलैड्स प्रभाग में सभी संबंधित अधिकारी ।
6. एनआईसी को एमपीलैड्स वेबसाइट पर अपलोड करने के लिए ।